


21.02.2026

अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। मदयून की ओर से कोई उपस्थित नहीं। कार्यालय जिला बूंदी से पत्र व डीडी प्राप्त हुआ जिसके अनुसार मदयून रंगलाल द्वारा प्रस्तुत इजराय की पालना में अपने हिस्से की हद तक एक लाख 34 हजार का डीडी जमा करवा दिया है। अतः रंगलाल का नाम बाकीदार से हटाया जाने का निवेदन किया। जिस पर विचार किया गया। जो गणना डिक्रीदार की ओर से पेश हुई थी उसके अनुसार दोनों इजरायों में कुल 1 लाख 60 हजार रुपये रंगलाल का हिस्सा बनता है। जबकि डीडी 1 लाख 34 हजार का ही प्राप्त हुआ है। अतः रंगलाल के हिस्से की हद तक नीलामी की आगामी कार्यवाही को स्थगित रखते हुए 1 लाख 60 हजार का डीडी जमा करवाये जाने बाबत निर्देशित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर बूंदी को पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने डीडी संपूर्ण राशि दिनांक 10.03.2026 को पेश हो।



21.2.26

अपर जिला न्यायाधीश  
संख्या 2, बूंदी (राज०)